निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 कार्तिक 1943 (श0)

(सं0 पटना 915) पटना, मंगलवार, 9 नवम्बर 2021

परिवहन विभाग

अधिसूचना

9 नवम्बर 2021

l0 l0&05@LFkk0&(DTO½0&30@2013¼[kM&1½7050—जिला पदाधिकारी, अरवल से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री मृत्युंञजय कुमार, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, अरवल के कार्यों के निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

2. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–213 (1)तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा–3 का प्रयोग करते हुए श्री मृत्युंञजय कुमार को जिला परिवहन पदाधिकारी एवं करारोपण पदाधिकारी की शक्तियॉ उनके प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रदान की जाती है।

3. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शैलेन्द्र नाथ,
सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 915-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in